

पर्चा डिक्री

आयालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर

टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

संख्या -354 / 2024

1. भानु विश्नोई पुत्र सुनील कुमार जाति विश्नोई निवासी शोरेकां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. सुमित पुत्र रविन्द्र जाति विश्नोई निवासी शोरेकां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. सुमन पत्नी रविन्द्र जाति विश्नोई निवासी शोरेकां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. संगीता पत्नी सुनील कुमार जाति विश्नोई निवासी शोरेकां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादीगण

बनाम

1. औमप्रकाश पुत्र वीरवल जाति विश्नोई निवासी शोरेकां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. पुष्पा पत्नी औमप्रकाश जाति विश्नोई निवासी शोरेकां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. रविन्द्र पुत्र औमप्रकाश जाति विश्नोई निवासी शोरेकां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. सुनील कुमार पुत्र औमप्रकाश जाति विश्नोई निवासी शोरेकां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा

88,53 राजस्थान काश्तकारी अधि० 1955

उपस्थिति:-1 अधिवक्ता श्री जयनारायण शर्मा

2 अधिवक्ता श्री संजय शर्मा

डिक्री

:-वादीगण

:-प्रतिवादीगण

दिनांक...11/2/25.....



आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादीगण श्री जयनारायण शर्मा व संजय शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादीगण अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री

धकारण जाकर घोषणा की जाती है कि

क. कलक्टर
की

क.वादीसं० 1 भानु विश्नोई को प्राप्त आराजी:-चक नं० 17 जीजीआर के प०न० 181/278 (48) किलानं० 1/1/0.2280, 1/2/0.0250, 2/1/0.2280, 2/2/0.0250, 3/1/0.2280, 3/2/0.0250, 8,9,10/0.7590 है०

ख.वादीसं० 2 सुमित को प्राप्त आराजी:-चकनं० 1 एच.एम.एच के प०न० 174/172
(30) किलानं० 18,23/0.5060, प०न० 174/273 (35) किलानं० 3,8,12,13/1.0120,
18/1/0.2400, 18/2/0.0130 है०,

ग.वादीया सं० 3 सुमन को प्राप्त आराजी:-चक नं० 1 एच.एम.एच के प०न० 174/274
(40) किलानं० 11, 12, 18, 19, 20, 23/1.5180, प०न० 173/274 (41) किलानं०
15/1/0.2280, 15/2/0.0250, 16/1/0.2280, 16/2/0.0250


घ.वादीया सं० 4 संगीता को प्राप्त आराजी:-चक नं० 17 जीजीआर के प०न०
181/277 (45) किलानं० 3,8,13,18,19,20,21,22,23/2.2770 है०, प०न० 181/276 मु०
40 किलानं० 23/0.2530 है०

ड.प्रतिवादीसं० 1 औमप्रकाश को प्राप्त आराजी:-चक नं० 17 जीजीआर के प०न०
180/278 मु० 47 किलानं० 14 ता 17, 24, 25/1.5180 है०, प०न० 181/278 मु० 48
किलानं० 11,12,19,20,21/1.2650, चकनं० 19 जीजीआर के प०न० 175/277 मु० 25
किलानं० 12,19,20,21/1.0120 है०

उपरोक्त अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर खाता तकसीम कर
मुताबिक तकसीम रकम राज अलग से कायम करने के आदेश दिये जाते
है। तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो
रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो
उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना
अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 11/2/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा
से जारी की गई।




(सहायक जिलाधिकारी एवं उपखण्ड अधीक्षक (विशेष))
उपखण्ड जिलाधिकारी एवं उपखण्ड अधीक्षक (विशेष)
एवं सहायक कलेक्टर
टिब्बी